

कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

क्रमांक प.12-3/राजस्व/स.अभया.अधि-2025/ 5089

दिनांक 28-11-2025

सूचना

यतः मान० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन सूओमोटो प्रकरण संख्या 01/2023 रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशंषाओं के बिन्दु संख्या-12 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की पालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव राज० सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.नम्बर 03(45)फोरेस्ट/2024-08281 दिनांक 10.01.2025 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये जिन क्षेत्रों को क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र में समायोजित किया जाना है, उन क्षेत्रों को सरिस्का अभयारण्य घोषित किये जाने के आशय का अनुमोदन किया गया है।

वन विभाग, राजस्थान शासन द्वारा सरिस्का टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट एवं बफर क्षेत्र का निर्धारण (Details of notification) द्वारा निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया है:-

क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट: 9091.22 हैक्टर

बफर क्षेत्र : 4753.63 हैक्टर

प्रस्तावित क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट का विस्तृत विवरण प्रस्ताव (अनुलग्नक 1 के पृष्ठ सं० 4 एवं 15 से 18) एवं प्रस्तावित बफर क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रस्ताव के (अनुलग्नक 01 पृष्ठ सं० 3 एवं 18 से 20) में संलग्न है। इस प्रक्रिया में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38(v) के स्पष्टीकरण के अनुसार ग्राम सभाओं से परामर्श करना अनिवार्य है।

इस क्रम में यह सूचित किया जाता है कि उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर इस सूचना के प्रकाशन उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायतों की आगामी ग्राम सभा में उक्त प्रस्ताव (अनुलग्नक-1) का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके व इस पर सुझाव/परामर्श/आपत्ति इत्यादि प्राप्त कर अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय, अलवर को आगामी 30 दिवस में भिजवाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी सुझाव/परामर्श/आपत्ति इत्यादि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं वन विभाग, ग्राम सभाओं से प्राप्त आपत्तियों, सुझावों एवं अभिमतों का परीक्षण करेंगे तथा सामूहिक परामर्श-बैठक भी आयोजित करेंगे, तदोपरान्त एक समेकित परामर्श प्रतिवेदन, जिसमें समर्थन/आपत्ति व्यक्त करने वाले ग्रामों तथा उठाए गए मुद्दों पर विभाग की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होगा, को तैयार कर शासन को प्रस्तावित क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण पर निर्णय हेतु प्रेषित किया जाएगा।

संलग्न:-उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)

के पत्र क्रमांक एफ()सर्वे/बापस/2025-26/13297

दिनांक 28.11.2025 एवं प्रस्ताव की प्रति।



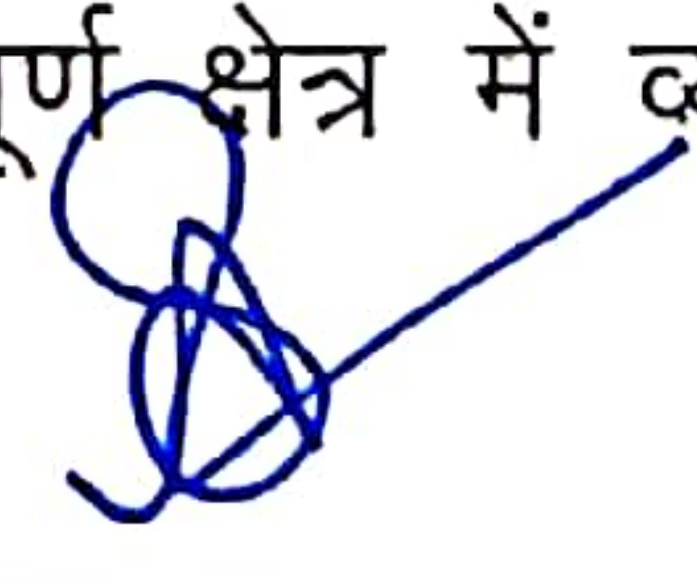
(डॉ० आर्तिका शुक्ला)

जिला कलक्टर,

अलवर

क्रमांक प.12-3/राजस्व/स.अभया.अधि-.2025/5090-5101 दिनांक 28-11-2025
प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-8/3) विभाग राज० जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग राज० जयपुर को उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का के पत्र क्रमांक एफ()सर्वे/बापस/2025-26/13297 दिनांक 28.11.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का, वन्यजीव जयपुर ग्रामीण एवं सामाजिक वानिकी अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना का सम्पूर्ण क्षेत्र में विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार करावे इस हेतु रिपोर्ट तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करावे साथ ही उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर उपर्युक्त सूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे साथ ही उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय मिनी सचिवालय अलवर को पालनार्थ प्रेषित है।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना की मिनी सचिवालय परिसर के समस्त तलों पर सामान्य दृश्य स्थान पर एवं समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, रिपोर्ट प्रस्तुत करावे।
8. उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, कठूमर, राजगढ, रैणी, गोविन्दगढ जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
9. तहसीलदार, अलवर, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, कठूमर, राजगढ, रैणी, गोविन्दगढ, प्रतापगढ, टहला व नौगांवा जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों, पटवार मण्डलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ, रामगढ, कठूमर, रैणी जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालय, ग्राम पंचायतों एवं उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
11. सरपंच ग्राम पंचायत.....(समस्त) पंचायत समिति उमरैण, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ, रामगढ, कठूमर, रैणी जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालय एवं उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
12. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर उपर्युक्त सूचना का सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावे।
13. गार्ड फाईल।


जिला कलक्टर,
अलवर

कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का

पता:- अलवर-जयपुर रोड, सरिस्का-301022 फोन नं. 0144-2841333

ई-मेल:- dcftp.srska.forest@rajasthan.gov.in, dcfsariska@gmail.com

क्रमांक एफ()सर्वे/बापस/2025-26/ 13297

दिनांक:- 28.11.2025

निमित्त :-

जिला कलक्टर,
अलवर।

विषय :-राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.11.2025 को जारी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एवं क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.11.2025 से सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य एवं क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र के संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की प्रति के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2025, बाघ परियोजना सरिस्का के Rationalization (युक्तिकरण) के संबंध में कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव एवं कार्यालय महानिदेशक वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में दिनांक 10.10.2025 को आयोजित हुई बैठक के मीटिंग ऑफ मिनिट्स की प्रति संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अभिमन्यु सहारण IFS)

उप वन संरक्षक

बाघ परियोजना सरिस्का

दिनांक:-

क्रमांक/सम/

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक

बाघ परियोजना सरिस्का

Signature valid



Digitally signed by Abhinmanyu Saharan
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.11.28 17:44:45 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का

पता :- अलवर-जयपुर रोड, सरिस्का-301022 फोन नं. 0144-2841333

ई-मेल :- deftp.srska.forest@rajasthan.gov.in, defsariska@gmail.com

क्रमांक एफ11()विधि/बापस/2024-25/5393
निमित्त:-

दिनांक 23.04.2025

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर।

विषय-बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का Rationalization (युक्तिकरण) किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के क्रम में।

संदर्भ:-अति० मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन के आदेश 3(45)/फोरेस्ट/2024/0828 दिनांक 10.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सूओ मोटो प्रकरण संख्या 01/2023, रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में Amicus Curiae Mr. K PARMESHWAR में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशपाओ के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में अति० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेशांक F No 3(45)Forest/ 2024-0828 दिनांक 10.01.2025 से कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का Rationalization (युक्तिकरण) किये जाने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-V के तहत प्रावधानानुसार वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2025, 17.02.2025, 19.03.2025, 07.04.2025 एवं 21.04.2025 को बैठक का आयोजन किया गया। कमेटी के सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव एवं विचार-विमर्श अनुसार सरिस्का अधीन क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट एवं बफर क्षेत्र को युक्तिसंगत किये जाने पर सर्व सम्मति से प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
संदर्भ:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अभिमन्यु सहारण, IFS)

उप वन संरक्षक

Signature Valid

Digitally signed by Abhimanyu Saharan
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.04.23 12:58:09 IST
Reason: Approved



कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का

पता :- अलवर-जयपुर रोड सरिस्का-301022 फोन नं. 0144-2841333

ई-मेल :- dcftp.srska.forest@rajasthan.gov.in, dcfsariska@gmail.com

क्रमांक एफ () बैठक / बापस / 2025-26

दिनांक:-

बाघ परियोजना सरिस्का के Rationalization (युक्तिकरण) के संबंध में प्रस्ताव :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सूओ मोटो प्रकरण संख्या 01/2023, रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में Amicus Curiae Mr. K PARMESHWAR में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशंषाओं के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में अति० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेशांक F.No.3(45)Forest/2024-08281 दिनांक 10.01.2025 से निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया :-

1	Conservator of Forest & Field Director, Sariska Tiger Reserve Alwar	Chairman
2	Representative of Chief Conservator of Forests, Jaipur	Member
3	Deputy Conservator of Forest, Alwar	Member
4	Deputy Conservator of Forest, Dausa	Member
5	Deputy Conservator of Forest, Jaipur (North)	Member
6	Deputy Conservator of Forest, Jaipur (Rural)	Member
7	Representative of District Collector Alwar	Member (Not Below rank of SDM)
8	Representative of District Collector Dausa	Member (Not Below rank of SDM)
9	Representative of District Collector Kotputali-Behror	Member (Not Below rank of SDM)
10	Representative of District Collector Jaipur	Member (Not Below rank of SDM)
11	Dr. Ayan Sadhu, Scientist; WII	Member
12	Deputy Conservator of Forest & Dy. Field Director Sariska Tiger Reserve Sariska	Member Secretary

उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का Rationalization (युक्तिकरण) किये जाने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-V के तहत प्रावधानानुसार वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु दिनांक 21.04.2025 को पंचम (अन्तिम) बैठक वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना की अध्यक्षता में इन्टरप्रिटेशन सेन्टर (एन.आई.सी.भवन) कैम्पस सरिस्का में आयोजित हुई।

बाघ परियोजना सरिस्का के Rationalization (युक्तिकरण) के संबंध में दिनांक 21.01.2025, 17.02.2025, 19.03.2025, 07.04.2025 एवं 21.04.2025 को आयोजित हुई कमेटी की बैठकों में प्राप्त सुझाव एवं विचार-विमर्श अनुसार बाघ परियोजना सरिस्का अधीन क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट एवं बफर क्षेत्र को युक्तिसंगत किये जाने पर सहमति व्यक्त की एवं उक्त कमेटी द्वारा निम्नानुसार तालिका में वर्णित जिन क्षेत्रों को क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से बफर क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र से क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र में समायोजित किया जाना है, के क्रम में भी अनुमोदन किया गया है।

चूँकि भारत में बाघ संरक्षण के इतिहास में सरिस्का एक प्रमुख नाम है क्योंकि इसने आधुनिक बाघ संरक्षण को नई दिशा प्रदान की है। 2008 में सरिस्का से बाघों के विलुप्त हो जाने

के बाद निकटतम स्ट्रॉत आबादी यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों को यहां लाया गया। बड़े हुए संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों के चलते सरिस्का में बाघों की आबादी पुनर्जीवित होने लगी और वर्तमान में वहां 41 बाघ जिसमें 12 शावक शामिल हैं, निवास कर रहे हैं, जो हाल वर्षों में सबसे अधिक हैं।

बाघों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ बाघों द्वारा अधिगृहित क्षेत्र भी वर्षों में काफी बढ़ गया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान (सी.टी.एच) की सीमा को फिर से परखा जाए जिसे एक दशक से भी पहले निर्धारित किया गया था जब सरिस्का में बाघों को पुनः बसाया गया था। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सी.टी.एच का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया।

इस कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक की अध्यक्षता में उक्त समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य मौजूदा सी.टी.एच को तर्कसंगत बनाना है ताकि बढ़ती बाघ आबादी की रक्षा की जा सके और क्षेत्रों को समग्र रूप से सुरक्षित किया जा सकें। यह प्रयास उन क्षेत्रों का भी परीक्षण करेगा जहां मानवजनित हस्तक्षेप अधिक है और उनका सी.टी.एच के रूप में पारिस्थितिक महत्व क्या है, इसका मूल्यांकन करेगा।

इस पृष्ठभूमि में समिति ने बाघ वितरण क्षेत्र की प्रजनन क्षमता और मौजूदा मानवजनित हस्तक्षेपों के संदर्भ में मौजूदा सी.टी.एच का मूल्यांकन किया वर्षों में रेडियों टेलीमेट्री और कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से बाघों की गहन निगरानी से सरिस्का परिदृश्य में बाघों के वितरण, उपयोग प्रसार और प्रजनन पर व्यापक जानकारी प्राप्त हुई है।

इसके अलावा ज्ञात प्रजनन स्थानों (जहां मादा बाघ अपने शावकों का पालन-पोषण करती हैं और प्रजनन से पहले / बाद में उपयोग करती हैं) का उपयोग करके संभावित बाघ प्रजनन आवासों का आंकलन किया गया। इससे आवासों को ज्ञात प्रजनन स्थानों के साथ तुलना कर उनकी सटीकता की पुष्टि की गई।

ये दोनों अध्ययन प्रबंधन को नए क्षेत्रों को सी.टी.एच में शामिल करने और बिखरें हुए वन खंडों को बाहर करने में मदद करेंगे जो मादा बाघों के प्रजनन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं और मानव-बाघ संघर्ष के लिए संवेदनशील हैं। जमीनी सर्वेक्षण भी किये गये, ताकि वन संरचना, बाघों के लिए शरण की उपलब्धता और मौजूदा मानव जनित गतिविधियों का पता लगाया जा सकें। मौजूदा सी.टी.एच के उत्तरी भाग में वन का बड़ा हिस्सा उपयुक्त पाया गया क्योंकि यह मौजूदा सी.टी.एच से जुड़ा हुआ है बाघों के प्रजनन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और मानव हस्तक्षेप कम है। ये क्षेत्र भविष्य में प्रजननशील मादा बाघों को आश्रय देने और उत्तरी सरिस्का परिदृश्य में बाघ आबादी को सृद्ध करने में सहायक हो सकते हैं।

जबकि मौजूदा सी.टी.एच के किनारें स्थित पृथक खंडों को जहां वन आवरण/शरण की उपलब्ध कम है और मानवजनित हस्तक्षेप अधिक है मौजूदा सी.टी.एच से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, क्योंकि वर्तमान पारिस्थितिक परिदृश्य को देखते हुए वे प्रजनन योग्य बाघ आवास के रूप में उपयुक्त नहीं हैं।

यह पुनरुद्धार प्रबंधन को संभावित बाघ प्रजनन आवासों को इस प्रकार पुनर्स्थापित और प्रबंधन करने में मदद करेगा कि बढ़ती बाघ आबादी को आश्रय दे सकें और बढ़ते मानव-संघर्ष को कम किया जा सकें।

मौजूदा सी.टी.एच से बाहर किए गए (बफर में डाले गए) और शामिल किए गए (सी.टी.एच में जोड़े गए) क्षेत्रों का खंड वार विस्तृत औचित्य नीचे प्रदान किया गया है :-

बाघ परियोजना के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट अधीन जिन वनखण्डों को बफर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

CRITICAL TIGER HABITAT BLOCK CHANGE IN TO BUFFER BLOCK (AREA IN HAC.)								
S. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Forest Block	Name of District	Name of Tehsil	RESERVE FOREST AREA	PROTECTED FOREST AREA	Total area (Ha.)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sariska tiger reserve		Choti cheed	Alwar	Tahla	42.25		42.25
2			Barwa dungri	Alwar	Tahla		605.89	605.89
3			Baldevgarh	Alwar	Tahla		680.90	680.90
4		Tahla	Tilwad- A,B,C,D	Alwar	Tahla		102.46	102.46
5			Jaisinghpura	Alwar	Tahla		926.45	926.45
6			Mallana	Alwar	Tahla		381.76	381.76
7			Kalwad	Alwar	Tahla		299.20	299.20
8			Dabkan-Main	Alwar	Tahla		275.69	275.69
9			Tahla (main,A,B,C)	Alwar	Tahla		63.71	63.71
10			Khariyawas	Alwar	Tahla		218.50	218.50
11			Siliberi (B,G)	Alwar	Tahla		44.05	44.05
12			Meenala	Alwar	Tahla		85.44	85.44
13		Akbarpur	Sawdi	Alwar	Alwar		104.72	104.72
14		Talvriksh	Lekdi	Alwar	Bansur		140.57	140.57
15			Todiya ka bas	Alwar (Kotputali-Behror)	Bansur		32.36	32.36
16			Ghat	Alwar (Kotputali-Behror)	Bansur		174.65	174.65
17			Mundli	Alwar (Kotputali-Behror)	Bansur		33.24	33.24
18			Hajipur	Alwar (Kotputali-Behror)	Bansur		59.60	59.60
19			Rampur-1	Alwar (Kotputali-Behror)	Bansur		151.27	151.27
20			Manawas	Alwar (Kotputali-Behror)	Thanagaji		115.61	115.61
21		Sariska	Shyampura	Alwar	Thanagaji		200.00	200.00
22	DCF Wildlife, Jaipur	Ajabgarh	Pipali A	Alwar	Thanagaji		34.75	34.75
23			Nadoli	Alwar	Thanagaji		66	66
					TOTAL			4839.07

1. बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र अधीन जिन वनखण्डों को क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

BUFFER BLOCK CHANGE IN TO CRITICAL TIGER HABITAT BLOCK (AREA IN HAC.)								
S. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Forest Block	Name of District	Name of Tehsil	RESERVE FOREST AREA	PROTECTED FOREST AREA	Total area (ha.)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sariska tiger reserve	Alwar Buffer	Sirawas	Alwar	Alwar	2555.59		2555.59
2			Saidawas	Alwar	Alwar	3726.90		3726.90
3			Dadhikar	Alwar	Alwar	2808.73		2808.73
						TOTAL		9091.22

तालिका में वर्णित क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट से बफर क्षेत्र में समायोजित किये जाने वाले वनखण्डों के क्रम में स्थिति अनुसार स्पष्ट विवरण निम्नानुसार है :-

- छोटी छींड़ :- वर्तमान में आरक्षित वनखण्ड छोटी छींड़ बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र आस-पास मानवीय दखल के साथ-2 अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
- बरवा डूंगरी :- वर्तमान में रक्षित वनखण्ड बरवा डूंगरी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम बलदेवगढ़, बरवाडूंगरी का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम बरवा डूंगरी की आबादी 342 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 193 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
- बलदेवगढ़ :- वर्तमान में रक्षित वनखण्ड बलदेवगढ़ बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम बलदेवगढ़, बरवाडूंगरी का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम बलदेवगढ़ की आबादी 2715 है एवं पालतू मवेशियों की

संख्या लगभग 1857 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।

4. तिलवाड ए,बी,सी,डी :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड तिलवाड ए,बी,सी,डी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम तिलवाड, तिलवाडी, पालपुर का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम तिलवाड ए,बी,सी,डी की आबादी 1587 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 1183 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
5. जयसिंहपुरा :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम गोरधनपुरा, ककराली रामपुरा, जयसिंहपुरा, घाटेडा, बेरली का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा की आबादी 1656 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 1522 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
6. मल्लाना :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड मल्लाना बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम मल्लाना एवं कोटडी रामपुरा का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग चक के रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम मल्लाना की आबादी 1359 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 1539 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
7. कालवाड :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड कालवाड बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम कालवाड की आबादी

584 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 485 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।

8. दबकन मैन :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड दबकन मैन बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के रूप में ग्राम सिटावट का क्षेत्र सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
9. टहला मैन ए,बी,सी :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड टहला मैन ए,बी,सी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम टहला मैन ए,बी,सी की आबादी 4624 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 3465 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
10. खारियावास :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड खारियावास बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। इस वनखण्ड में ग्राम खारियावास एवं तालाब का क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र के पास स्थित ग्राम खारियावास की आबादी 195 है एवं पालतू मवेशियों की संख्या लगभग 141 है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
11. सिलीबेरी बी,जी :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड सिलीबेरी बी,जी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र बाघ परियोजना सरिस्का के मुख्य भाग से काफी दूरी पर टुकड़े के रूप में स्थित है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
12. मीनाला :- उक्त क्षेत्र बाघ परियोजना सरिस्का में सम्मिलित नहीं है लेकिन सीमावर्ती है एवं उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का के क्षेत्राधिकार में है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.06.2012 से घोषित सरिस्का 'अ' वन्य जीव अभयारण्य में शामिल 85.

44 हैक्टेयर गैर वन भूमि ग्राम टहला तहसील राजगढ़ में जिला जयपुर के संजय नगर, भट्टा बस्ती के पुर्नवास हेतु नाहरगढ़ अभयारण्य से प्रत्यावर्तित वन भूमि की एंवज में प्राप्त हुई है। उक्त क्षेत्र 85.44 है० का वनखण्ड मीनाला के रूप में प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग 1 (ख) दिनांक 01.12.2016 के द्वारा किया जा चुका है। उक्त घोषित सरिस्का 'अ' वन्य जीव अभयारण्य के क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 से 26 (क) तक की कार्यवाही जिला कलक्टर, अलवर के स्तर पर विचाराधीन है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है। इसलिए इसे बफर क्षेत्र में जोड़ा जाना है।

13. सावडी :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड सावडी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा पर स्थित है। उक्त वनखण्ड का पूर्व में नोटिफिकेशन में त्रुटी के कारण राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नाम अमल दरामद भी नहीं हुआ है। इसलिए उक्त को बफर क्षेत्र में जोड़ा जाना उचित है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं अत्यधिक जैविक दबाव होने के कारण उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
14. लेकडी :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड लेकडी बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र एक अलग ही टुकड़े के रूप में सम्मिलित है एवं सीमा पर स्थित है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग-थलग/छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
15. टोडिया का बास :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड टोडिया का बास बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग टुकड़े के रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।
16. घाट :-वर्तमान में रक्षित वनखण्ड घाट बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल

[illegible]

मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग टुकड़े के रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।

22. श्यामपुरा :—वर्तमान में रक्षित वनखण्ड श्यामपुरा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग थलग छितरे हुए रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं अत्यधिक जैविक दबाव होने के कारण उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।

23. मानावास :—वर्तमान में रक्षित वनखण्ड मानावास बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से हटाकर बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में भी मानवीय दखल है एवं आस-पास राजस्व क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र अलग टुकड़े के रूप में है। उक्त क्षेत्र में बाघ का विचरण नहीं है एवं उपयुक्त हैबिटाट के रूप में नहीं है।

उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 23 तक में अधिकतम के क्षेत्र मौके पर बाघ परियोजना सरिस्का से अलग भाग अर्थात् छितरी हुई अवस्था में है। इसके आस-पास मानव आवास एवं मवेशियों की बहुलता है, साथ ही यह क्षेत्र कृषि/राजस्व भूमि से घिरे हुए है। इन क्षेत्रों के आस-पास आबादी क्षेत्र को आदिनांक तक विस्थापन भी नहीं किया गया है जिससे इन वन क्षेत्रों को जैविक दबाव रहित बनाया जाकर Inviolable आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जाना संभव नहीं है। उक्त को बफर क्षेत्र में जोड़े जाने पर क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की परिधि पर बफर क्षेत्र बनता है, जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों की मंशा अनुरूप उचित है।

क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से पृथक कर बफर क्षेत्र में जोड़े जाने वाले उपरोक्त वनखण्ड का क्षेत्र अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा नहीं है। उक्त क्षेत्रों को बफर क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने पर स्थानीय जनता एवं बाघ परियोजना सरिस्का के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित रहेगा।

तालिका में वर्णित बफर क्षेत्र से क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र में समायोजित किये जाने वाले वनखण्डों के क्रम में उनकी मौके पर स्थिति अनुसार स्पष्ट विवरण निम्नानुसार है :—

1. सीरावास :—वर्तमान में आरक्षित वनखण्ड सीरावास बाघ परियोजना सरिस्का के बफर वन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के बफर से हटाकर क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र मौके पर घने जंगल के

रूप में आच्छादित है। जिसमें मुख्यतया धौंक, बिलायती बबूल, सालर, छीला, सेमल के पेड़ मौजूद हैं। समस्त क्षेत्र सघन जंगल के साथ-साथ ऊँची पहाड़ी के रूप में है। जिसमें कई प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यथा नदी, नाले, झरने बहुतायात में हैं। इसलिए उक्त क्षेत्र में बाघ एसटी-18, एसटी-2404, एसटी-2403 एवं एसटी-29 का लगातार विचरण बना हुआ है। उक्त क्षेत्र में मानवीय दखल/गतिविधियां भी कम हैं।

2. सैदावास :- वर्तमान में आरक्षित वनखण्ड सैदावास बाघ परियोजना सरिस्का के बफर वन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के बफर से हटाकर क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र मौके पर घने जंगल के रूप में आच्छादित है। जिसमें मुख्यतया धौंक, बिलायती बबूल, सालर, छीला, सेमल सहित अन्य वनस्पति प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं। समस्त क्षेत्र सघन जंगल के साथ-साथ ऊँची पहाड़ी के रूप में है। जिसमें कई प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यथा नदी, नाले, झरने बहुतायात में हैं। इसलिए उक्त क्षेत्र में बाघ एसटी-18, एसटी-2404, एसटी-2403 एवं एसटी-29 का लगातार विचरण बना हुआ है। उक्त क्षेत्र में मानवीय दखल/गतिविधियां भी कम हैं।
3. डडीकर :- वर्तमान में आरक्षित वनखण्ड डडीकर बाघ परियोजना सरिस्का के बफर वन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र को बाघ परियोजना सरिस्का के बफर से हटाकर क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र मौके पर घने जंगल के रूप में आच्छादित है। जिसमें मुख्यतया धौंक, बिलायती बबूल, सालर, छीला, सेमल, बांस सहित अन्य वनस्पति प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं। समस्त क्षेत्र सघन जंगल के साथ-साथ ऊँची पहाड़ी के रूप में है। जिसमें कई प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यथा नदी, नाले, झरने बहुतायात में हैं। इसलिए उक्त क्षेत्र में बाघ एसटी-18, एसटी-2404, एसटी-2403 एवं एसटी-29 का लगातार विचरण बना हुआ है। उक्त क्षेत्र में मानवीय दखल/गतिविधियां भी कम हैं।

यह भी स्पष्ट है कि एसटी-19 मादा बाघिन द्वारा पूर्व में इन्हीं क्षेत्रों में मूवमेंट करते हुए शावक दिए हैं जो आज इन्हीं क्षेत्रों को आवास बनाकर रह रहे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि बाघ परियोजना सरिस्का का कुल क्षेत्रफल 1213.34 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 881.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट(सी.टी.एच) एवं 332.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर के रूप में सम्मिलित है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (34) Forest/2007 दिनांक 28.12.2007 से बाघ परियोजना सरिस्का का क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट (सी.टी.एच) क्षेत्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (34) Forest/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का का बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की पालना के अनुरूप बाघ परियोजना सरिस्का के सम्पूर्ण क्षेत्र/क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र में कोई कमी नहीं हुई है। उक्तानुसार रेसनेलाईजेशन प्रक्रिया में अलवर जिला अधीन क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र के 8811.24 हैक्टेयर के स्थान पर 92448.83 हैक्टेयर एवं बफर वन क्षेत्र 18014.21 हैक्टेयर के स्थान पर 13676.62 हैक्टेयर क्षेत्र हो जावेगा। जयपुर जिले का 6558 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्वानुसार ही बफर क्षेत्र में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार कमेटी के सदस्यों के अनुमोदन उपरान्त सरिस्का टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट एवं बफर क्षेत्र के Rationalization (युक्तिकरण) उपरान्त क्षेत्र की विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है :-

EXISTING SARISKA TIGER RESERVE								
BLOCK WISE FOREST LAND INFORMATION (AREA IN HAC.)								
S. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Forest Block	Name of District	Name of Tehsil	RESERVE FOREST AREA	PROTECTED FOREST AREA	Total area
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sariska tiger reserve	Sariska	Kushalgarh	Alwar	Malakhera	1319.50		1319.50
2			Kraska	Alwar	Malakhera	1314.25		1314.25
3			Jodhawas alias rajor	Alwar	Thanagaji	1359.00		1359.00
4			Kalighati	Alwar	Thanagaji	6902.00		6902.00
5			Todi nijran	Alwar	Thanagaji	230.00		230.00
6			Kakwari	Alwar	Tahla	3217.00		3217.00
7			Kushalgarh	Alwar	Malakhera		227.91	227.91
8			Kraska	Alwar	Malakhera		1216.74	1216.74
9			Indok	Alwar	Malakhera		1313.61	1313.61
10			Kalachara	Alwar	Malakhera		219.92	219.92
11			Karna ka bas	Alwar	Malakhera		323.20	323.20
12			Amrakawas	Alwar	Thanagaji		216.30	216.30

13			Duharmala	Alwar	Thanagaji		1673.86	1673.86
14			Thanagaji	Alwar	Thanagaji		235.07	235.07
15			Bhudiyawas	Alwar	Thanagaji		129.12	129.12
16			Shyampura	Alwar	Thanagaji		200.00	200.00
17			Raypura	Alwar	Thanagaji		210.00	210.00
18			Dabkan	Alwar	Tahla	1492.75		1492.75
19			Tahla alias bhagani	Alwar	Tahla	2482.50		2482.50
20			Nandu	Alwar	Tahla	6944.50		6944.50
21			Umri devri	Alwar	Tahla	7469.75		7469.75
22			Haripura	Alwar	Tahla	390.25		390.25
23			Choti cheed	Alwar	Tahla	42.25		42.25
24			Barwa dungri	Alwar	Tahla		605.89	605.89
25			Baldevgarh	Alwar	Tahla		680.90	680.90
26			Tilwad	Alwar	Tahla		770.29	770.29
27		Tehla	Jaisinghpura	Alwar	Tahla		926.45	926.45
28			Mallana	Alwar	Tahla		381.76	381.76
29			Kalwad	Alwar	Tahla		299.20	299.20
30			Dabkan	Alwar	Tahla		506.40	506.40
31			Tahla	Alwar	Tahla		174.59	174.59
32			Khariyawas	Alwar	Tahla		218.50	218.50
33			Nandu	Alwar	Tahla		822.55	822.55
34			Siliberi	Alwar	Tahla		218.50	218.50
35			Rajor	Alwar	Tahla		2426.93	2426.93
36			Mitravat	Alwar	Tahla		39.32	39.32
37			Bighota(s.n. 5 to 9)	Alwar	Tahla	2096.87		2096.87
38			Kanyawas	Alwar	Tahla		83.71	83.71
39		Akbarpur	Binak	Alwar	Alwar	6225.75		6225.75
40			Kalikhole	Alwar	Alwar	3307.25		3307.25

41			Pratvipura	Alwar	Malakhera	329.00		329.00
42			Madhogarh	Alwar	Malakhera	649.25		649.25
43			Siliberi	Alwar	Malakhera	6870.00		6870.00
44			Dehlawas	Alwar	Alwar		64.77	64.77
45			Bhaktpura	Alwar	Alwar		67.18	67.18
46			Kishanpur	Alwar	Alwar		418.17	418.17
47			Sawdi	Alwar	Alwar		104.72	104.72
48			Dhawala	Alwar	Alwar		151.75	151.75
49			Gopalpura	Alwar	Alwar		107.22	107.22
50			Dharampura	Alwar	Alwar		325.07	325.07
51			Madhogarh	Alwar	Malakhera		2217.01	2217.01
52			Pratvipura	Alwar	Malakhera		1081.82	1081.82
53			Rampur	Alwar	Bansur	4244.75		4244.75
54			Bani talvriksh	Alwar	Thanagaji	103.75		103.75
55			Nagalhedi	Alwar	Thanagaji		919.57	919.57
56			Berawas	Alwar	Thanagaji		1354.49	1354.49
57			Rehkamala	Alwar	Thanagaji		530.31	530.31
58			Manawas	Alwar	Thanagaji		115.61	115.61
59		Talvriksh	Tolawas	Alwar	Thanagaji		210.09	210.09
60			Bilahat	Alwar	Bansur		268.53	268.53
61			Basna	Alwar	Bansur		42.12	42.12
62			Bishalu	Alwar	Bansur		179.59	179.59
63			Lekdi	Alwar	Bansur		140.57	140.57
64			Todiya ka bas	Alwar	Bansur		32.36	32.36
65			Ghat	Alwar	Bansur		174.65	174.65
66			Mundli	Alwar	Bansur		33.24	33.24
67			Hajipur	Alwar	Bansur		59.60	59.60

68			Rampur-1	Alwar	Bansur		151.27	151.27
69			Rampur-2	Alwar	Bansur		194.41	194.41
70			Rampur-3	Alwar	Bansur		40.46	40.46
71			Rampur-4	Alwar	Bansur		710.86	710.86
72			Nathusar	Alwar	Bansur		535.24	535.24
73			Sirawas	Alwar	Alwar	2555.59		2555.59
74			Saidawas	Alwar	Alwar	3726.90		3726.90
75			Dadhikar	Alwar	Alwar	2808.73		2808.73
76			Nidani	Alwar	Alwar	1570.43		1570.43
77			Bhakeda	Alwar	Alwar	2885.74		2885.74
78			Dhamla ka bas1985	Alwar	Bansur		600.86	600.86
79			Hameerpur s.n.1to5	Alwar	Bansur		717.84	717.84
80		Alwar buffer	Dhamla ka bas 1966	Alwar	Bansur		88.06	88.06
81			Umrain	Alwar	Alwar		511.04	511.04
82			Badh kesar pur	Alwar	Alwar		35.39	35.39
83			Bhakeda	Alwar	Alwar		69.31	69.31
84			Dholidhoop	Alwar	Alwar		41.18	41.18
85			Ballaboda	Alwar	Alwar		31.55	31.55
86			Jatiana	Alwar	Alwar		103.79	103.79
87			Todiyar A	Alwar	Alwar		170.93	170.93
88			Salibawad	Alwar	Thanagaji	2553.25		2553.25
89			Ajabgarh	Alwar	Thanagaji	465.75		465.75
90	DCF WL JAIPUR	Ajabgarh	Bhangarh	Alwar	Tahla	1127		1127
91			Narayanij	Alwar	Tahla	1458		1458

92			Ajabgarh	Alwar	Thanagaji		95.25	95.25
93			piplai Main	Alwar	Thanagaji		1391.88	1391.88
94			Pipai A	Alwar	Thanagaji		34.75	34.75
95			Nadoli	Alwar	Thanagaji		66	66
96			Khirat ka bas	Alwar	Tahla		118.79	118.79
97			Bhangarh	Alwar	Tahla		462.35	462.35
98			Dhiroda	Alwar	Tahla		421.05	421.05
99			Dhiroda	Alwar	Tahla		610.9	610.9
100			Pawata	Alwar	Tahla		61.37	61.37
101			Digota-61	Jaipur	Andhi	6558		6558.00
					TOTAL			112683.45

RATIONALIZED CTH FOREST BLOCK (AREA IN HAC.) SARISKA TIGER RESERVE								
S. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Forest Block	Name of District	Name of Tehsil	RESERVE FOREST AREA	PROTECTED FOREST AREA	Total area
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sariska tiger reserve	Sariska	Kushalgarh	Alwar	Malakhara	1319.50		1319.50
2			Kraska	Alwar	Malakhara	1314.25		1314.25
3			Jodhawas alias rajor	Alwar	Thanagaji	1359.00		1359.00
4			Kalighati	Alwar	Thanagaji	6902.00		6902.00
5			Todi nijran	Alwar	Thanagaji	230.00		230.00
6			Kakwari	Alwar	Tahla	3217.00		3217.00
7			Kushalgarh	Alwar	Malakhara		227.91	227.91
8			Kraska	Alwar	Malakhara		1216.74	1216.74
9			Indok	Alwar	Malakhara		1313.61	1313.61
10			Kalachara	Alwar	Malakhara		219.92	219.92

11			Karna ka bas	Alwar	Malakhera		323.20	323.20
12			Amrakawas	Alwar	Thanagaji		216.30	216.30
13			Duharmala	Alwar	Thanagaji		1673.86	1673.86
14			Thanagaji	Alwar	Thanagaji		235.07	235.07
15			Bhudiyawas	Alwar	Thanagaji		129.12	129.12
16		Tehla	Dabkan	Alwar	Tahla		230.71	230.71
17			Raypura	Alwar	Thanagaji		210.00	210.00
18			Dabkan	Alwar	Tahla	1492.75		1492.75
19			Tahla alias bhagani	Alwar	Tahla	2482.50		2482.50
20			Nandu	Alwar	Tahla	6944.50		6944.50
21			Umri devri	Alwar	Tahla	7469.75		7469.75
22			Haripura	Alwar	Tahla	390.25		390.25
23			Tahla (D,E,F,G)	Alwar	Tahla		110.88	110.88
24			Nandu	Alwar	Tahla		822.55	822.55
25			Siliberi (MAIN,A,C,D,E,F,)	Alwar	Tahla		174.45	174.45
26			Rajor	Alwar	Tahla		2426.93	2426.93
27			Mitravat	Alwar	Tahla		39.32	39.32
28			Tilwad- Main	Alwar	Tahla		667.83	667.83
29			Kanyawas	Alwar	Tahla		83.71	83.71
30		Akbarpur	Binak	Alwar	Alwar	6225.75		6225.75
31			Kalikhole	Alwar	Alwar	3307.25		3307.25
32			Pratvipura	Alwar	Malakhera	329.00		329.00
33			Madhogarh	Alwar	Malakhera	649.25		649.25
34			Siliberi	Alwar	Malakhera	6870.00		6870.00

35			Dehlawas	Alwar	Alwar		64.77	64.77
36			Bhaktपुरा	Alwar	Alwar		67.18	67.18
37			Kishanpur	Alwar	Alwar		418.17	418.17
38			Gopalपुरा	Alwar	Alwar		107.22	107.22
39			Dharamपुरा	Alwar	Alwar		325.07	325.07
40			Madhogarh	Alwar	Malakhera		2217.01	2217.01
41			Dhawala	Alwar	Alwar		151.75	151.75
42			Pratvipura	Alwar	Malakhera		1081.82	1081.82
43		Talvriksh	Rampur	Alwar	Bansur	4244.75		4244.75
44			Bani talvriksh	Alwar	Thanagaji	103.75		103.75
45			Nagalhedi	Alwar	Thanagaji		919.57	919.57
46			Berawas	Alwar	Thanagaji		1354.49	1354.49
47			Rehkamala	Alwar	Thanagaji		530.31	530.31
48			Tolawas	Alwar	Thanagaji		210.09	210.09
49			Bilahat	Alwar	Bansur		268.53	268.53
50			Basna	Alwar	Bansur		42.12	42.12
51			Bishalu	Alwar	Bansur		179.59	179.59
52			Rampur-2	Alwar	Bansur		194.41	194.41
53			Rampur-3	Alwar	Bansur		40.46	40.46
54			Rampur-4	Alwar	Bansur		710.86	710.86
55			Nathusar	Alwar	Bansur		535.24	535.24
56		Alwar Buffer	Sirawas	Alwar	Alwar	2555.59		2555.59
57			Saidawas	Alwar	Alwar	3726.90		3726.90
58			Dadhikar	Alwar	Alwar	2808.73		2808.73

59	DCF WL JAIPUR	Ajabgarh	Slibawadi	Alwar	Thanagaji	2553.25		2553.25
60			Ajabgarh	Alwar	Thanagaji	465.75		465.75
61			Bhangarh	Alwar	Tahla	1127		1127
62			Narayanij	Alwar	Tahla	1458		1458
63			Ajabgarh	Alwar	Thanagaji		95.25	95.25
64			piplai Main	Alwar	Thanagaji		1391.88	1391.88
65			Khirat ka bas	Alwar	Tahla		118.79	118.79
66			Bhangarh	Alwar	Tahla		462.35	462.35
67			Dhiroda	Alwar	Tahla		421.05	421.05
68			Dhiroda	Alwar	Tahla		610.9	610.9
69			Pawata	Alwar	Tahla		61.37	61.37
					TOTAL			92448.83

RATIONALIZED BUFFER FOREST BLOCK (AREA IN HAC.) SARISKA TIGER RESERVE								
S. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Forest Block	Name of District	Name of Tehsil	RESERVE FOREST AREA	PROTECTED FOREST AREA	Total area
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sariska tiger reserve	Tehla	Choti cheed	Alwar	Tahla	42.25		42.25
2			Barwa dungri	Alwar	Tahla		605.89	605.89
3			Baldevgarh	Alwar	Tahla		680.90	680.90
4			Tilwad- A,B,C,D	Alwar	Tahla		102.46	102.46
5			Jaisinghpura	Alwar	Tahla		926.45	926.45
6			Mallana	Alwar	Tahla		381.76	381.76
7			Kalwad	Alwar	Tahla		299.20	299.20
8			Dabkan- Main	Alwar	Tahla		275.69	275.69
9			Tahla (main,A,B,C)	Alwar	Tahla		63.71	63.71

10		Khariyawas	Alwar	Tahla		218.50	218.50
11		Siliberi (B,G)	Alwar	Tahla		44.05	44.05
12		Meenala	Alwar	Tahla		85.44	85.44
13		Bighota(s.n. 5 to 9)	Alwar	Tahla	2096.87		2096.87
14	Akbarpur	Sawdi	Alwar	Alwar		104.72	104.72
15		Manawas	Alwar	Thanagaji		115.61	115.61
16		Lekdi	Alwar	Bansur		140.57	140.57
17		Todiya ka bas	Alwar	Bansur		32.36	32.36
18	Talvriksh	Ghat	Alwar	Bansur		174.65	174.65
19		Mundli	Alwar	Bansur		33.24	33.24
20		Hajipur	Alwar	Bansur		59.60	59.60
21		Rampur-1	Alwar	Bansur		151.27	151.27
22		Nidani	Alwar	Alwar	1570.43		1570.43
23		Bhakeda	Alwar	Alwar	2885.74		2885.74
24		Dhamla ka bas1985	Alwar	Bansur		600.86	600.86
25		Hameerpur s.n.1to5	Alwar	Bansur		717.84	717.84
26		Dhamla ka bas 1966	Alwar	Bansur		88.06	88.06
27	Alwar Buffer	Umrain	Alwar	Alwar		511.04	511.04
28		Badh kesar pur	Alwar	Alwar		35.39	35.39
29		Bhakeda	Alwar	Alwar		69.31	69.31
30		Dholidhoop	Alwar	Alwar		41.18	41.18
31		Ballaboda	Alwar	Alwar		31.55	31.55
32		Jatiana	Alwar	Alwar		103.79	103.79
33		Todiyar A	Alwar	Alwar		170.93	170.93

34		Sariska	Shyampura	Alwar	Thanagaji		200.00	200.00
35	DCF WL JAIPUR	Ajabgarh	Pipai A	Alwar	Thanagaji		34.75	34.75
36			Nadoli	Alwar	Thanagaji		66	66
37			Digota-61	Jaipur	Andhi	6558.00		6558.00
					TOTAL			20320.06

सरिस्का टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट एवं बफर क्षेत्र के Rationalization (युक्तिकरण) उपरान्त क्षेत्र की स्थिति संक्षिप्त में निम्नानुसार है :-

TABLE -1
RATIONALISED SARISKA TIGER RESERVE

S.No.	CTH TO PROPOSED BUFFER AREA	BUFFER PROPOSED CTH AREA
1	4753.63	9091.22

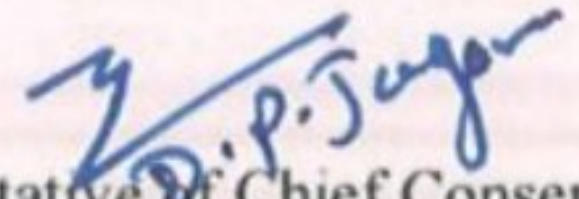
TABLE -2
RATIONALISED SARISKA TIGER RESERVE

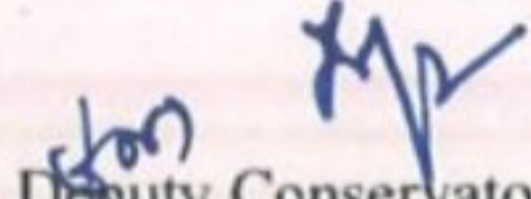
S.No.	AREA		CHANGE/DIFFERENCE
1	EXISTING CTH	RATIONALISED CTH	
	88111.24	92448.83	+ 4337.59
2	EXISTING FOREST BUFFER	RATIONALISED FOREST BUFFER	
	24572.21	20320.06	— 4423.03(add with 85.44 hac.of meenala block as out of str)
3	EXISTING REVENUE	RATIONALISED REVENUE	
	IN BUFFER- 8650.92 IN SANCTUARY- 5223.64	IN BUFFER- 8650.92 IN SANCTUARY- 5223.64	NIL

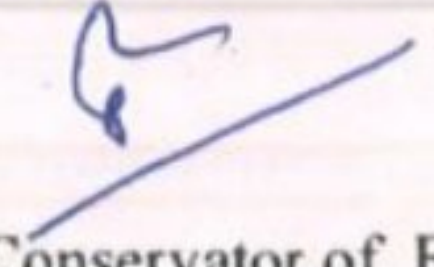
EXISTING CTH AND FOREST BUFFER AREA – 88111.24 + 24572.21 = 112683.45

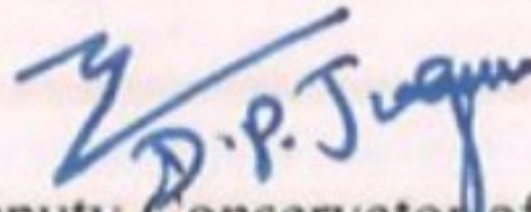
RATIONALISED CTH AND FOREST BUFFER AREA – 92448.83 + 20320.06 = 112768.89 (ADDING WITH 85.44)

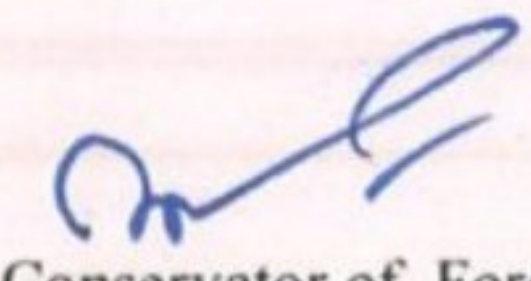
उपरोक्तानुसार अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावित क्षेत्र वास्ते हस्ताक्षरार्थ कमेटी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

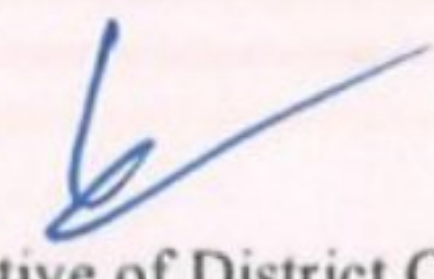

Representative of Chief Conservator
of Forests, Jaipur (Member)

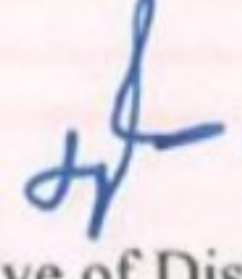

Deputy Conservator of Forest,
Alwar (Member)


Deputy Conservator of Forest,
Dausa (Member)

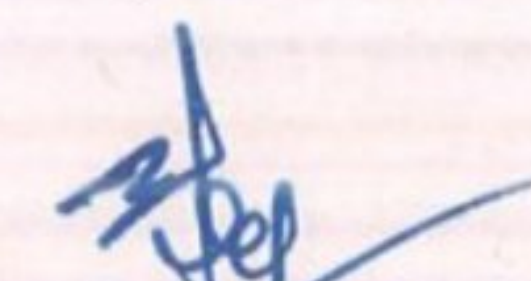

Deputy Conservator of Forest,
Jaipur (North) (Member)

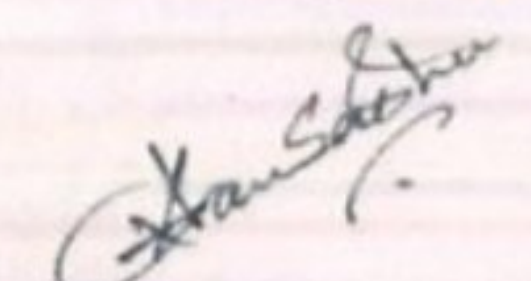

Deputy Conservator of Forest,
Jaipur (Rural) (Member)

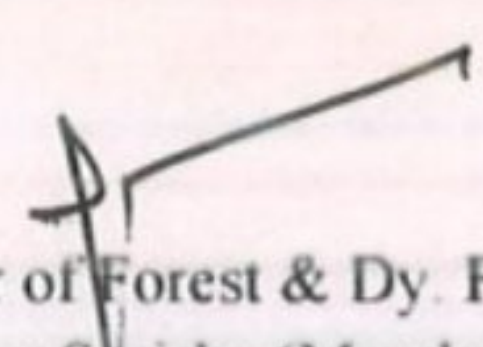

Representative of District Collector
Alwar (Member)

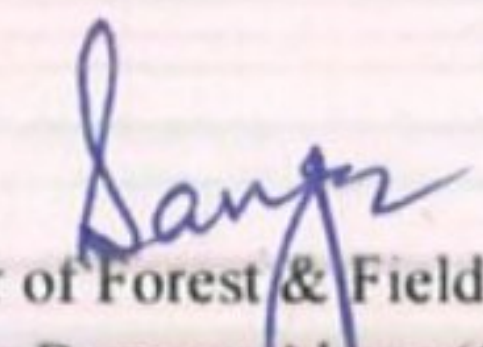

Representative of District Collector
Dausa (Member)


Representative of District Collector
Kotputali Behror (Member)

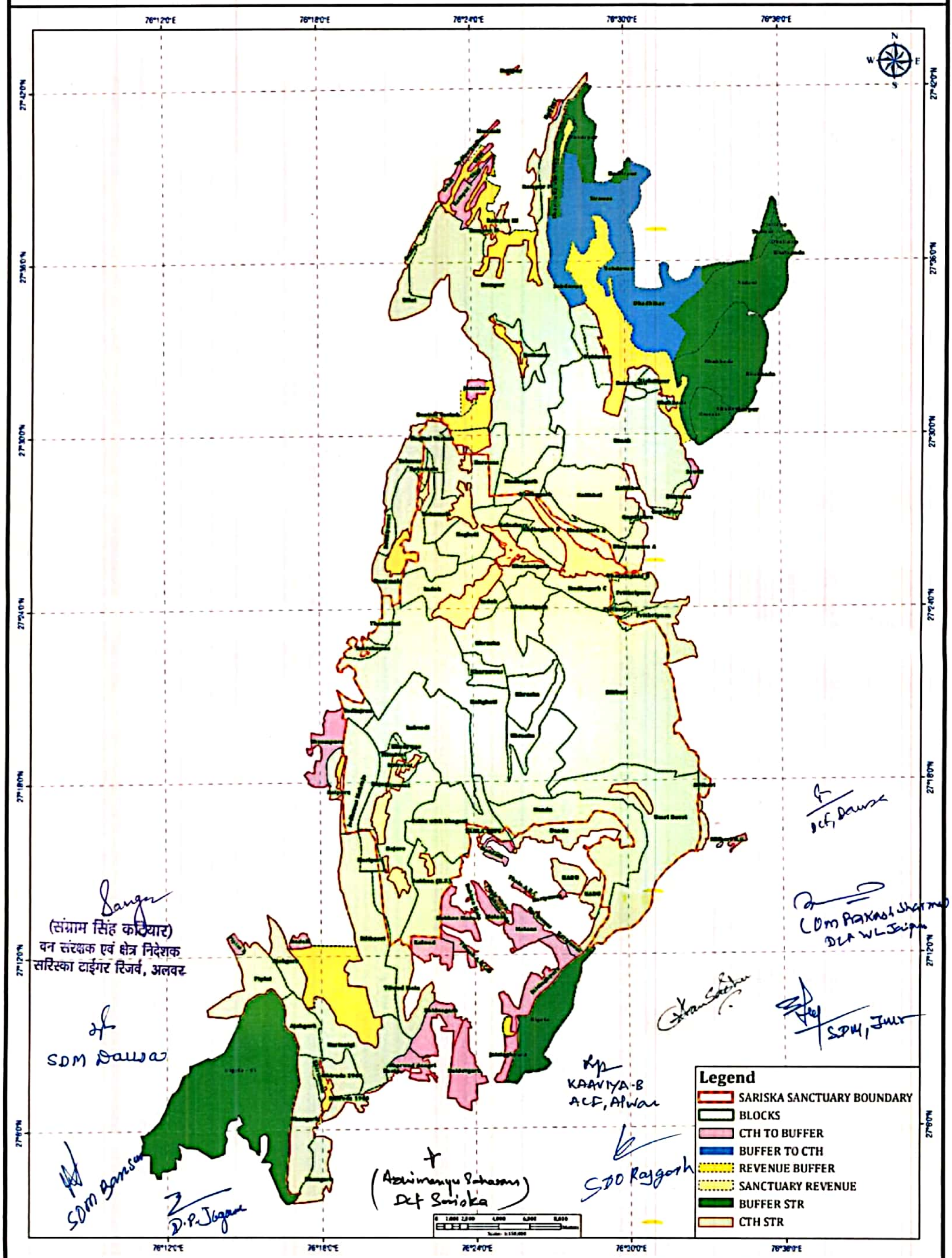

Representative of District Collector
Jaipur (Member)


Dr. Ayan Sadhu, Scientist; WII (Member)


Deputy Conservator of Forest & Dy. Field Director Sariska
Tiger Reserve Sariska (Member Secretary)


Conservator of Forest & Field Director,
Sariska Tiger Reserve Alwar (Chairman)
(संग्राम सिंह कटियार)
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
सरिस्का टाईगर रिजर्व, अलवर

RATIONALIZED MAP OF SARISKA TIGER RESERVE



Scanned with OKEN Scanner

